

रिपोर्ट पर आधारित आदेश/आदेश/एल/2020/34
 वेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नलिखित अनुसार
 नहीं है। नाम जमाबन्दी नम्बर 2078 के फारस पुत्र धरु हरिस 1/24
 साक्षी देह खोसदार है। तबले प्रार्थी के आधार पर 1/24 में फारस पुत्र धरु हरिस 1/24
 है। अतः फारस पुत्र धरु हरिस नम्बर 2078 के फारस पुत्र धरु हरिस 1/24
 जमाबन्दी नम्बर 2078 के आधार पर प्रस्तावित है।

क्रमांक राजस्व/2020/34
 दिनांक 29/04/23

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम गुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम गुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
 उदयपुरवाटी (गुडुगुन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 - आदेश -

मु.नं = 58/23

दिनांक :- 29/4/23

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, फारस पुत्र धरु हरिस के आधार पर उपखण्ड दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पोसाज	2078	29 - क 296	फारस पुत्र धरु हरिस 1/24 साक्षी देह खोसदार	फारस पुत्र धरु हरिस 1/24 साक्षी देह खोसदार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालन की जावे।

29/4/23
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक - राजस्व/2020/34
 प्रकृतिलिपि -

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारं पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

29/4/23
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

